न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 39/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/46

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. जतिन कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जी जैन मैसर्स जतिन कुमार विरेन्द्र कुमार, बस स्टेण्ड मेन रोड, सुन्दनी, बॉसवाडा 2. मयंक कुमार पुत्र श्री चन्द्रप्रकाशजी जैन मैसर्स– बाहुबली एजेन्सी, गली नं.1, जनजाती गौदाम के पिछे, बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 27.06.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **09–06–2022** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **23–10–2021** को 02.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स जतिन कुमार विरेन्द्र कुमार, बस स्टेण्ड मेन रोड, सुन्दनी, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **जतिन कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जी जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **लाल मिर्च पाउडर (ब्राण्ड बंसल) के 16 पैकेट** 500–500 ग्राम के आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **लाल मिर्च पाउडर (ब्राण्ड बंसल) के चार पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 400 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा ला[illegible] (ब्राण्ड बंसल) को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय [illegible] में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित [illegible] एवं मुख्य चिकि[illegible] स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्[illegible] प्रयोगशाला बॉसवाड[illegible] जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:06 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/267–268 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 241 दिनांक 01.11.21 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **लाल मिर्च पाउडर (ब्राण्ड बंसल)** का नमुना मिथ्याछाप violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf)(A)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **लाल मिर्च पाउडर (ब्राण्ड बंसल)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09–06–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27.06.2022 को अप्रार्थीगणो ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/267–268 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 241 दिनांक 01.11.21 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **लाल मिर्च पाउडर (ब्राण्ड बंसल)** का नमुना मिथ्याछाप violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf)(A)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i) के तहत मिसब्राण्डेड **लाल मिर्च पाउडर (ब्राण्ड बंसल)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:06 IST
Reason: SelfAttested

गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **जतिन कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार जी जैन मैसर्स जतिन कुमार विरेन्द्र कुमार, बस स्टेण्ड मेन रोड, सुन्दनी, बॉसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र), मयंक कुमार पुत्र श्री चन्द्रप्रकाशजी जैन मैसर्स– बाहुबली एजेन्सी, गली नं.1, जनजाती गौदाम के पिछे, बॉसवाडा को रूपये 25,000/– (अक्षरे रू पच्चीस हजार मात्र)**के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:06 IST
Reason: SelfAttested